

प्रकरण क्रमांक :...../अ-6/20.....

आदेश दिनांक :.....

प्रकरण आदेशार्थ प्रस्तुत ।

प्रकरण का संक्षेप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक .....

जाति.....निवासी ..... के

द्वारा ग्राम ..... की भूमि सर्वे क्रमांक.....

रकवा ..... हेक्टे. में से (विक्रित) रकवा ..... हेक्टे.

भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक .....

दिनांक ..... द्वारा क्रय की है ।

जिसका विक्रय पत्र के आधार पर न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है ।

प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तिहार जारी किया गया नियति अवधि में किसी के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई । मौजा पटवारी से रिपोर्ट ली गयी पटवारी ने प्रस्तुत रिपोर्ट रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता विक्रत भूमि पर भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है । प्रकरण में विक्रेता एवं गवाह के साक्ष्य कराये गए जो प्रकरण के साथ सलग्न है ।

अतः म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के तहत ग्राम ..... की भूमि सर्वे क्रमांक .....

.....रकवा..... हेक्टे.

में से (विक्रित) रकवा ..... हेक्टे. पर विक्रेता.....

जाति..... निवासी..... के स्थान

पर क्रेता.....

जाति ..... निवासी ..... के नाम

विक्रय पत्र क्रमांक .....

दिनांक ..... के आधार पर नामांतरण स्वीकृत किया जाता है ।

मौजा पटवारी आदेश अमल करे ।

प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

तहसीलदार

तहसील .....